सं. ए. 12018/7/2016-डी. आर.एस.
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)
निर्माण भवन

नई दिल्ली-110011, तारीख 31 मई, 2017

सूचना

यह मंत्रालय, सी.डी.एल. कोलकाता, सी.डी.टी.एल. चेन्नई, सी.डी.टी.एल., मुम्बई, आर.डी.टी.एल. चंडीगढ़ और आर.डी.टी.एल. गुवाहाटी में समूह 'क' पदों के लिए विद्यमान भर्ती नियमों का संशोधन करने और सभी केन्द्रीय औषध प्रयोगशालाओं में समूह क पदों के लिए सामान्य भर्ती नियम पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव की परीक्षा कर रहा है । सामान्य भर्ती नियमों के अधीन रिक्त पदों पर प्रोन्नतियां केन्द्रीय औषध प्रयोगशालाओं में पोषक प्रवर्गों के अधिकारियों की सम्मिलित ज्येष्ठता के आधार पर होंगी । इस संबंध में, प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए गए हैं और वे संलग्न हैं ।

2. भर्ती नियमों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके अंतिम रूप देने से पूर्व, सभी हितबद्ध व्यक्तियों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वैबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर इस संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित की जातीं हैं । मंत्रालय द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर नियमों/अपेक्षाओं के अनुसार विचार किया जाएगा ।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा सं. 301-डी, डी. विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 में दी जा सकती हैं और साफ्ट प्रति sahoo.dn@nic.in पर भेजी जा सकती है ।

(डी. एन. साहू)
उप-सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन- 23061656

अनुसूची

पद का नाम	पद-संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स का स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
उप-निदेशक	5* *2017 - कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । सी.डी.एल. कोलकाता -2 सी.डी.टी.एल. मुम्बई -1 आर.डी.टी.एल. गुवाहाटी -1 सी.डी.टी.एल. हैदराबाद -1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह क, राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78,800-2,09,200 रु.)	चयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रोन्नति केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के सी.डी.एल./सी.डी.टी.एल./आर.डी.टी.एल. में स्तर 11 में किसी भी शाखा के ऐसे ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है । टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के सी.डी.एल./सी.डी.टी.एल./आर.डी.टी.एल. में ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों की सम्मिलित ज्येष्ठता के आधार पर तैयार की जाएगी । टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा	प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति:- 1.अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2.सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3.औषध महानियंत्रक(भारत) - सदस्य	पद को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की पद्धति द्वारा भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

			के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों/लोक सेक्टर उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/अर्ध-सरकारी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:- (अ)(i) जो अपने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन ढांचा(पुनरीक्षित) के स्तर 11(67,000-2,08,700 रु.) में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा कर ली है; और (आ) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव धारण किए हुए हैं:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से फार्मेसी या जैव-प्रोद्यौगिकी या रसायन-शास्त्र या जैव-रसायन या भेषज		

			रसायन या भेषज-विज्ञान या सूक्ष्मजीव-विज्ञान में मास्टर डिग्री (ii) ओषधियों/प्रसाधन सामग्री के परीक्षण का 10 वर्ष का अनुभव । वांछनीय: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सुसंगत विषय में डाक्टरेट डिग्री । (ii) ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक जर्नलों में वैज्ञानिक प्रकाशन । टिप्पण 1 : पोषक श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

अनुसूची

पद का नाम	पद-संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स का स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	16* *2017 - कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । सी.डी.एल. कोलकाता -10 सी.डी.टी.एल. चेन्नई -01 सी.डी.टी.एल. मुम्बई -01 आर.डी.टी.एल. चंडीगढ़ -2 आर.डी.टी.एल. गुवाहाटी -1 सी.डी.टी.एल. हैदराबाद -1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह क, राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन ढांचा (पुनरीक्षित) में स्तर 11 (67,700-2,08,200 रु.)	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं । टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या निदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।	आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से फार्मेसी या जैव-प्रोद्यौगिकी या रसायन-शास्त्र या जैव-रसायन या भेषज रसायन या भेषज-विज्ञान या सूक्ष्मजीव-विज्ञान में मास्टर डिग्री (ii) ओषधियों/प्रसाधन सामग्री के परीक्षण का 5 वर्ष का अनुभव । वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सुसंगत विषय में डाक्टरेट डिग्री । टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती हैं यदि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव धारण करने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु – नहीं शैक्षिक अर्हता - हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	<u>प्रोन्नति</u> केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के सी.डी.एल./सी.डी.टी.एल./आर.डी.टी.एल. में स्तर 10(56,100-1,77,500 रु.) में ऐसे वैज्ञानिक अधिकारी, जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है जिसके न हो सकने पर स्तर 8(47,600-1,51,100 रु.) में ऐसे कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जिन्होंने वैज्ञानिक अधिकारी और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की श्रेणियों में कुल मिलाकर छह वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें तीन वर्ष की नियमित सेवा वैज्ञानिक अधिकारी की श्रेणी में वेतन ढांचा (पुनरीक्षित) के स्तर 10(56,100-	<u>प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समितिः-</u> 1.अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2.महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या विशेष महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा/अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा - सदस्य 3.संयुक्त सचिव,	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

			1,77,500 रु.) में होनी चाहिए । टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची सी.डी.एल./सी.डी.टी.एल./आर.डी.टी.एल. में वैज्ञानिक अधिकारियों की सम्मिलित ज्येष्ठता के आधार पर तैयार की जाएगी । टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों/लोक सेक्टर उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/अर्ध-सरकारी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:- (अ)(i) जो अपने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के पुष्टीकरण के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति:- 1.अपर सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2.औषध महानियंत्रक (भारत) - सदस्य 3. निदेशक/उप-सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य	

			(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में मूल काडर/विभाग में वेतन ढांचा(पुनरीक्षित) के स्तर 10(56,100-1,77,500 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर ली है; और (आ) जिनके पास स्तंभ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । टिप्पण 1 : पोषक श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

अनुसूची

पद का	पद-संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स	चयन	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए

नाम			का स्तर	अथवा अचयन पद	वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
वैज्ञानिक अधिकारी	32* *2017 - कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । सी.डी.एल. कोलकाता -5 सी.डी.टी.एल. चेन्नई -4 सी.डी.टी.एल. मुम्बई -5 आर.डी.टी.एल. चंडीगढ़ -4 आर.डी.टी.एल. गुवाहाटी -5 सी.डी.एल.कसौली-5 सी.डी.टी.एल. हैदराबाद -4	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह क, राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन ढांचा (पुनरीक्षित) में स्तर 10 (56,100-1,77,500 रु.)	चयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों

और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	जाएगा		में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा ।	प्रोन्नति सी.डी.एल./सी.डी.टी.एल./आर.डी.टी.एल. में स्तर 8(47,500-1,51,500 रु.) में किसी भी शाखा के ऐसे कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है । टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची सी.डी.एल./सी.डी.टी.एल./आर.डी.टी.एल. में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों की सम्मिलित ज्येष्ठता के आधार पर तैयार की जाएगी । टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर	प्रोन्नति के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:- 1.अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव/निदेशक/उप-सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3.औषध महानियंत्रक(भारत) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

			श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।		